

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
वल्लभ-भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्र./विशेष सेल/बी/25/वेतन/2019/889/1765/20-2

भोपाल, दिनांक 22-7-19

प्रति,

- (1) समस्त संभागीय आयुक्त  
मध्यप्रदेश।
- (2) समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- स्थानीय निकाय के कर्मचारी अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुसंगत पदों पर नियुक्त लोक सेवकों की आवश्यक जानकारी की पूर्ति कराने के संबंध में।


:: 00 ::

स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये 1.84 लाख अध्यापक संवर्ग को नवीन भर्ती नियम, 2018 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 01.07.2018 से नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें से 1.75 लाख अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किये जा चुके हैं।

2/ अध्यापक संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त लोक सेवकों को कोष एवं लेखा विभाग से एम्पलाई कोड जारी करने एवं IFMIS के माध्यम से वेतन देयक जनरेट किये जाने की कार्यवाही होना है। इन लोकसेवकों में से 3910 लोकसेवकों के Non Ira Pran, 12248 के Pran Without Nomination 32591 के Pran Without Bank Details 2350 के Pran Without Mobile Number 124496 के Pran Without Email-Id 3180 के Nil Credit है। इनकी पूर्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है किन्तु अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। वित्त विभाग के साथ दिनांक 16.07.2019 को हुई बैठक में एक माह में उक्त कमियों की पूर्ति कराकर डाटा उपलब्ध कराये जाने की सहमति हुई है।

3/ इसके अतिरिक्त अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना के प्रारंभ दिनांक 01.04.2011 से 30.06.2019 तक लगभग 50 लाख मिसिंग क्रेडिट है। मिसिंग क्रेडिट से संबंधित एन.एस.डी.एल. से प्राप्त अभिलेख जिलों को प्रेषित किये जाकर इन लोकसेवकों के वेतन देयक से मिलान कर मिसिंग क्रेडिट की राशि एवं चालान भेजने के निर्देश भी पूर्व में दिए जा चुके हैं। इस पर भी कार्यवाही अपेक्षित है।

आपसे आग्रह है कि 1.84 लाख अध्यापक संवर्ग के लोकसेवक जो कि नवीन मरती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्त किये जा रहे हैं। इनको वित्त विभाग के IFMIS में सम्मिलित करने के लिए उपरोक्त समस्त कमियों की पूर्ति एक माह में कराये जाने के लिए अपने स्तर से संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को अभियान चला कर कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश देने के कष्ट करें तथा कार्यवाही पूर्ण होने तक अपनी समय सीमा की सूची (TL) में सम्मिलित कर निरंतर मॉनिटरिंग करने का अनुरोध है।


  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 22-7-19

पृ.क्र./विशेष सेल/बी/25/वेतन/2019/880/1765/20-2  
प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं समस्त संभागीय जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

  
19/7/19

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग